जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,

गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर – 302015
फैक्स : 0141–2711075, 5105116, ईपीबीएक्स : 5108363–65
वेबसाइट : **www.jaipurdairy.com**

टेण्डर फार्म (दुग्ध परिवहन अनुबन्ध के लिये तकनीकी निविदा पत्र)

1. निविदा प्रस्तुत कर्ता का नाम .....
2. पिता/पति का नाम, पूर्ण पता मय .....
   टेलिफोन नं0 (यदि हो तो).....
3. दुग्ध संकलन मार्ग का नाम एवं : .....
4. विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही हैं।

		डीडी/पे ऑर्डर	दिनांक
(अ) (I)	टेण्डर फार्म फीस **₹ 500** (प्रति दुग्ध मार्ग)	.....	.....
(II)	ईएमडी **₹ 20,000**/– (प्रति दुग्ध मार्ग) (नये वाहन की कोटेशन देने पर **₹ 40,000**/– प्रति दुग्ध मार्ग)	.....	.....
(III)	टेण्डर प्रोसेसिंग फीस **₹ 500**/– (प्रति निविदादाता)		

(ब) निविदादाता को फार्म फीस/ईएमडी/प्रोसेसिंग फीस के डी डी/बैंकर चैक/पे ऑर्डर की डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त स्केन की हुयी कॉपी अपलोड करानी होगी।

5. **इस वाहन का पूर्ण विवरण जो कि हमारे द्वारा अनुबन्धनीय कार्य तथा दुग्ध परिवहन आदि में प्रयुक्त/ उपयोग में लाया जावेगा, निम्नानुसार हैं :–**

.....

वाहन की किस्म : मैक/वर्ष 2013 एवं बाद का मय फिटनेस	न्यूनतम वाहन क्षमता कैनों की सं. 40 ली0 क्षमता के जो वाहन से लाये/ले जाये जा सकते हैं	वाहन रजि0 नम्बर	वाहन स्वामी का नाम व पूर्ण पता
1. टाटा 407/समकक्ष			
2. पिकअप/समकक्ष			

.....

वाहन के मूल प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतिलिपि साइट पर अपलोड करे एवं निविदा के समय मूल प्रमाण पत्र भी पेश करें।

6. निविदादाता द्वारा रु. 100/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न)
7. **इस निविदा में अंकित दरें दो वर्ष तथा अन्य निर्दिष्ट अवधि के लिये मान्य हैं।**
8. **वाहन का मैक/मॉडल वर्ष 2013 या बाद का होना चाहियें।**
9. **निविदादाता को अपने डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त स्केन किये हुये निम्न दस्तावेज अपलोड करने होगे–**
   - (I) समस्त टेण्डर फार्म मय नियम शर्ते।
   - (I) टेण्डर फीस/ईएमडी/टेण्डर प्रोसेसिंग फीस की डीडी की स्केन की हुयी प्रतियॉ (बिन्दु संख्या 4 के अनुसार)
   - (III) वाहन का मैक/वर्ष/रजिस्ट्रेशन/कोटेशन इत्यादि का पूर्ण विवरण की स्केन की हुयी प्रति (बिन्दु संख्या 4 के अनुसार)
   - (IV) पैन कार्ड की स्केन की हुई प्रति।

हस्ताक्षर अनुबन्धकर्ता

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर

दुग्ध परिवहन वाहनों हेतु नियम एवं अनुबन्ध शर्ते

1. जयपुर दुग्ध संघ पंजीकृत सहकारी संध है जो जयपुर एवं दौसा जिले में स्थित सहकारी समितियों एवं दुग्ध संग्रह केन्द्रों में दुग्ध एकत्रित करने का कार्य करती है, और इस हेतु आस पास की सहकारी समितियों से दुग्ध लाने के लिये अपने वाहन से दुग्ध लाने वाले ठेकेदार की जयपुर दुग्ध संघ को समय समय पर आवश्यकता होती है ताकि दर्ज शर्तों से अनुबन्धित होकर इस इकरारनामे में दर्ज पक्षकरान इकरार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि निम्नलिखित शर्तों का पालन करते रहेगें तथा संघ के हितो के विपरीत अनुबन्ध नहीं करेगें।
2. सफल निविदादाता द्वारा इस प्रपत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/दुग्ध संकलन केन्द्रों से जिनकी समय सारणी अनुबन्ध उपरान्त उपलब्ध कराई जावेगी एवं जिसे समय समय पर संघ बदल सकता है अपने वाहन से दुग्ध लाकर एवं एकत्रित कर (जिनकी लिस्ट सम्मिलित है जो प्रर्दश 1 है।) डेयरी संयत्र/अवशीतन केन्द्र या जयपुर दुग्ध संघ द्वारा निर्देष्ट किसी स्थान पर प्रपत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर वाहन से परिवहन का कार्य करना होगा।
3. इस अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष की होगी। जो आगे तीन माह हेतु बढायी जा सकती हैं। किन्तु समयावधि बढाने का अधिकार केवल जयपुर दुग्ध संघ को ही होगा, जिसकी लिखित सूचना होने पर ही अवधि बढी हुई मानी जावेगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा अपनी किराये/भाड़े की दर निर्धारित प्राइस बिड/बीओक्यू में प्रतिकिमी/प्रतिकिग्रा दुग्ध की दर देनी होगी।
5. जयपुर दुग्ध संघ द्वारा भाड़ों के बिलों का भुगतान आरटीजीएस/बैंक एडवाईज द्वारा अदा किया जायेगा। उपर्युक्त भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्त्रोत पर आयकर काटकर दिया जावेगा। वाहन सफल निविदादाता का होगा तथा उस वाहन के ड्राईवर, खलासी, पेट्रोल, डीजल, तेल व टूट फूट रोड टैक्स, टोल टैक्स, परिचालन सम्बन्धी अन्य समस्त खर्चे, शास्तियां एवं दावों से सम्बन्धित समस्त खर्चे सफल निविदादाता को वहन करने होगें।
6. दुग्ध वाहन का दुग्ध परिवहन अनुबन्ध होने के बाद सरकार द्वारा कोई टोल टेक्स प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त भार 50 प्रतिशत जयपुर दुग्ध संघ एवं 50 प्रतिशत सफल निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा। टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर ही टोल टैक्स की राशि का 50 प्रतिशत का भुगतान किया जावेगा।
7. दुग्ध परिवहन अनुबन्ध किसी अन्य दुग्ध पथ के लिये हुआ है एवं जयपुर दुग्ध संघ दुग्ध परिवहन पथ का रूट बदलता है एवं बदले हुये पथ पर कोई टैक्स लगता है तो ऐसी स्थिति में टोल टेक्स जयपुर दुग्ध संघ वहन करेगी।
8. सफल निविदादाता प्रतिदिन जयपुर दुग्ध संघ के डेयरी संयत्र/निश्चित स्थान से खाली दुग्ध कैन, रसीद (ट्रकशीट) देकर प्राप्त करेगा और अपने वाहन में लोड करेगा तथा जयपुर दुग्ध संघ के निर्देशानुसार निर्धारित समितियों को खाली कैन सम्भलायेगा एवं वहां से दूध के भरे हुये कैन लोड कर निर्धारित समय अवधि के अन्दर डेयरी संयंत्र/अवशीतन केन्द्र जयपुर दुग्ध संघ द्वारा निश्चित स्थान पर लाकर उपलब्ध करवायेगा और रसीद

(ट्रकशीट) प्राप्त करेगी। निर्धारित सहकारी समितियों को जाने का मार्ग व उन पर पंहुचने का समय तथा डेयरी संयंत्र/अवशीतन केन्द्र से रवाना होने व वापस डेयरी संयंत्र/अवशीतन केन्द्र पर पहुंचने का समय जयपुर दुग्ध संघ समय समय पर निर्धारित कर सकेगा। जिसकी पूर्व सूचना जयपुर दुग्ध संघ सफल निविदादाता को लिखित में देगा। खाली दुग्ध कैन जयपुर दुग्ध संघ सफल निविदादाता को प्रतिदिन उसके द्वारा दुग्ध भरे कैन देने के बाद ही तुरन्त दे दिये जावेगें या जयपुर दुग्ध संघ के आदेशानुसार खाली कैन भी पहुंचायेगा।

9. वाहन के किसी भी वजह से खराब हो जाने व टूट फूट हो जाने अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की अवस्था में दूसरी गाडी की व्यवस्था करना तथा दूध को निर्धारित समय में पहुंचाने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। उपरोक्त चाही गयी व्यवस्था न करने की स्थिति में सफल निविदादाता के दुग्ध रूटों से संकलित दूध खटटे व दही अवस्था में प्राप्त होने वाली हानि सफल निविदादाता से वसूल की जावेगी। हानि का अभिप्राय अच्छे दूध की कीमत व खराब दूध की कीमत में जो अन्तर है, उससे है। उपर्युक्त क्षति का निर्धारण जयपुर दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा।
10. देवीय या प्राकृतिक कारणों से पूर्व निर्धारित रास्ता परिवहन की दृष्टि से अवरूद्व हो जाने की अवस्था मे सफल निविदादाता जयपुर दुग्ध संघ को पूर्व सूचना लिखित या मौखिक में देकर जयपुर दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित मार्ग से जाकर दूध ला सकेगी जब तक कि रास्ता साफ होकर परिवहन योग्य नहीं हो जाता है। इस अवस्था में जयपुर दुग्ध संघ अतिरिक्त दूरी हेतु भुगतान अदा करेगी और ऐसी अवस्था मे दूध को लाने में देरी की वजह से जो दूध खराब अथवा खटटा हो जाये उसकी जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
11. सफल निविदादाता दुग्ध संकलन के लिये जाते समय अपने वाहन मे समय समय पर जयपुर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित सहकारी समितियों को भेजा जाने वाला ऐसिड, एल्कोहल, मिनरल मिक्सचर, यूएमबी, बीज, डेयरी उपकरण, स्टेशनरी आदि अन्य सामान को ले जाना होगा तथा रसीद प्राप्त करके सहकारी समितियों को देना होगा और इस सामान के यातायात के लिये सफल निविदादाता को अलग से अतिरिक्त में कोई भुगतान (पेमेन्ट) नहीं किया जावेगा।
12. परिवहनकर्ता को दुग्ध परिवहन अनुबन्ध के अन्तर्गत निम्न कार्य और करने पडेगें:–

(1) साफ किये हुये खाली कैनों को समितियों पर लौटाना ।

(2) डेयरी संयंत्र/अवशीतन केन्द्र या निर्दिष्ट स्थान से सन्तुलित पशु आहार की बोरियों का परिवहन इस कार्य के लिये संघ द्वारा अतिरिक्त निर्धारित किराया दिया जावेगा। दुग्ध परिवहन अनुबन्धकर्ता द्वारा पशु आहार परिवहन नहीं किये जाने पर निर्धारित दर से अतिरिक्त जो व्यय भार होगा। (वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा) वह सम्बन्धित दुग्ध परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगी।

(3) संघ द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर वाहन में सामान भिजवाया जा सकता है। इसके लिये प्रबन्धन द्वारा निर्धारित अतिरिक्त भाड़ा दिया जायेगा।

(4) संघ अथवा समितियों को जाने वाली समाचार व्यवस्था अथवा मार्ग व्यवस्था जैसे ट्रकशीट आदि एवं ट्रकशीट पर समिति द्वारा इन्द्राज करवाना ।

(5) जब कभी आवश्यकता पडे तो दुग्ध का चैक/ड्राप्ट इत्यादि सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को सही रूप से पहुंचाने होगें एवं इस तरह समितियों से डेयरी डॉक तक पहुंचाने होगें।

13. जयपुर दुग्ध संघ द्वारा समय समय पर अथवा प्रतिदिन निर्धारित सहकारी समितियों को भेजे जाने वाली डाक, ड्राप्ट व अन्य कागजात इत्यादि को अपने वाहन में ले जाने की जिम्मेदारी व उन्हें सहकारी समितियों को इस कार्य के लिये भी सफल निविदादाता को अलहदा से व अतिरिक्त में कोई अतिरिक्त भुगतान (पेमेन्ट) नहीं दिया जावेगा, अवज्ञा करने पर सफल निविदादाता आर्थिक दण्ड हेतु जिम्मेदार होगी।
14. जयपुर दुग्ध संघ और सफल निविदादाता के मध्य हुये इस इकरारनामें की अवधि साधारणतया दो वर्ष की होगी किन्तु जयपुर दुग्ध संघ में यह अधिकार निहित होगा कि उपर्युक्त 24 माह की अनुबन्ध अवधि के समाप्ति के पश्चात भी अनुबन्ध 3 माह की अवधि के लिये बढ़ाई जा सकेगी, इस बढ़ाई गई अवधि में समस्त शर्तें यथावत लागू होगी।
15. सफल निविदादाता के कार्यों व कर्तव्यों से अगर जयपुर दुग्ध संघ संतुष्ट नहीं हो तो और/अथवा सफल निविदादाता का कार्य जयपुर दुग्ध संघ के हित में नहीं हो तो जयपुर दुग्ध संघ का पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से सफल निविदादाता का यह अनुबन्ध बिना कारण बताये तत्काल प्रभाव से शेष अवधि के लिये निरस्त कर देवें तथा ऐसी अवस्था में सफल निविदादाता अपने द्वारा जमा प्रतिभूति राशि (जमानत राशि) वापस प्राप्त करने का भी किसी प्रकार से अधिकारी नहीं होगा। जयपुर दुग्ध संघ द्वारा यह कि इस अनुबन्ध की किसी भी शर्त का सफल निविदादाता द्वारा उल्लघंन किया गया, पाये जाने पर जयपुर दुग्ध संघ सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि ₹ 40,000/– एवं ₹ 10,000/– तक की शास्ती परिवहन बिलों से अपने विवेक से जब्त कर सकेगी और अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के पश्चात यह प्रतिभूति एवं अंतिम बिल की राशि सफल निविदादाता को नहीं लोटायी जावेगी और वह अनुबन्ध उसी दिन से समाप्त समझा जावेगा।
16. दूध की चोरी/हेराफेरी/दूध में मिलावट/अन्य अनियमितता पाये जाने पर दुग्ध वाहन का दूध परिवहन अनुबन्ध से निलम्बित किया जा सकता है एवं निलम्बित अवधि मे वेकल्पिक व्यवस्था कर दुग्ध परिवहन करवाया जा सकेगा।

    उपरोक्त अनियमितता सही पाये जाने पर दुग्ध परिवहन दर की अन्तर राशि की कटौती निलम्बित वाहन से करते हुये संघ एवं सम्बन्धित पथ की दुग्ध समितियोंको हुई हानि की वसूली वाहन ठेकेदार से करते हुये वाहन को हटाया जावेगा इसके साथ रु 10,000/– की शास्ती लगाई जा सकती है एवं सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी। निलम्बन अवधि अधिकतम एक माह होगी इस अवधि के प्रकरण की जॉच प्रबन्धक द्वारा गाठित कमेटी द्वारा पूर्ण कर ली जावेगी। वैकल्पिक वाहन पूर्णतया अस्थाई मानते हुये वाहन मालिक से सिक्यूरिटी राशि रु 20,000/– नगद जमा करवाये जावेगे। शेष बची राशि का भुगतान यदि कोई हो तो भुगतान किया जा सकेगा। भविष्य में निविदा में भाग लेनें के लिए अयोग्य करार कर दिया जावेगा।

17. यह हैं कि मासिक आधार पर पथ के वाहन ठेकेदार द्वारा दुग्ध समितियों से जिनका दुग्ध परिवहन किया गया है उनकी दूध की मात्रा/फैट/एसएनएफ आदि कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा एवं दुग्ध परिवहन बिल के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

18. (अ) वाहन ठेकेदार संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं, पत्नि/पति व आश्रित नही होना चाहिए। ऐसा पाये जाने पर वाहन ठेकेदार का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

(ब) वाहन जयपुर दुग्ध संघ की दुग्ध समितियों/प्रस्तावित दुग्ध समितियों पर कार्यरत वैतनिक कर्मचारी स्वयं व पत्नि/पति व आश्रित का नही होना चाहिए। ऐसा पाये जाने पर वाहन ठेकेदार का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

19. सफल निविदादाता अनुबन्ध की पालना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से अपने कार्य हस्तान्तरित करके सम्पन्न नहीं करवा सकेगी और सफल निविदादाता अगर स्थानान्तरण करेगा तो सफल निविदादाता को लिखित में प्रार्थना पत्र पर प्रबन्ध संचालक की स्वीकृति के साथ नवीन अनुबन्ध पत्र के साथ ₹ 20,000/– नगद जमा कराने होगें एवं दोबारा से प्रतिभूति राशि नये अनुबन्ध कर्ता द्वारा जमा कराने होगें वाहन की किस्म मॉडल शर्तों के अनुसार ही होगी समस्त कार्यवाही एवं बकाया प्रमाण पत्र के बाद ही प्रथम अनुबन्धकर्ता को अतिंम बिल एवं धरोहर राशि लोटाई जावेगी। उपरोक्त हस्तान्तरण फीस ₹ 20,000/– वापस नहीं लोटाई जायेगी।

20 सफल निविदादाता को अपने वाहन के मोटर व्हीकल कानून के तहत समस्त कागजात मुवक्किल अपने स्तर पर व अपने खर्चे पर रखने होगें तथा वाहन की पूर्ण रूपेण सही व चालू रखने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी और वाहन का चालान आदि होने पर उसकी जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी तथा ऐसे कारणों या अन्य और कोई कारण से उत्पन्न देरी की वजह से जो दूध फट जाता है या खटटा हो जाता है या उसमें खराबी हो जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी तथा सफल निविदादाता इस प्रकार हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति पूर्णरूपेण जयपुर दुग्ध संघ को करेगी। जयपुर दुग्ध संघ को उक्त नुकसान की क्षतिपूर्ति, सफल निविदादाता के बकाया बिलों में से समयोजन करने का अधिकार होगा।

21 सफल निविदादाता को आगे वाहन पर जयपुर दुग्ध संघ का नाम अंकित करवा कर प्रदर्शित करना होगा कि वाहन मे रखा हुआ दूध उपभोक्ता को सीधे बिक्री हेतु नहीं है तथा वाहन संघ द्वारा निर्देशित कलर कराना होगा।

22 सफल निविदादाता द्वारा रकम ₹ 500/– या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित निश्चित स्टाम्प पेपर क्रय कर अनुबन्ध पत्र बनवा कर जयपुर दुग्ध संघ को प्रस्तुत करना होगा।

23 सफल निविदादाता इस अनुबन्ध में बताये गये व स्वीकार किये गये समस्त कार्यों के मुताबिक शर्त अनुबन्ध सदैव अनुबन्ध के कार्यकाल में करती रहेगी और बाबत सफल निविदादाता जयपुर दुग्ध संघ के पास ₹ 40,000/– (अक्षरे चालीस हजार) प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी जो कि प्रतिभूति राशि अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के पश्चात सफल निविदादाता को 2 माह के भीतर जयपुर दुग्ध संघ से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कराना होगा , जिसक पश्चात जयपुर दुग्ध संघ से सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि का रिफन्ड करेगा। दो माह के अन्दर नो डयूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर, 500/– रूपये प्रतिमाह का भुगतान सफल निविदादाता से वसूल करने का अधिकार जयपुर दुग्ध संघ को निहित रहेगा व जयपुर दुग्ध संघ प्रतिभूति राशि का भुगतान विलम्ब के लिये किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

24 समय समय पर आवश्यकतानुसार जयपुर दुग्ध संघ अपने विवेक से एक पक्षीय निर्णय संघ हित मे लेकर समय और मार्ग का परिवर्तन कर सकेगी, दुग्ध संकलन मार्ग में सम्मिलित समितियों की संख्या कम या अधिक कर सकेगी एवं अपनी सुविधा के अनुसार किसी बिन्दू तक दुग्ध परिवहन करा सकेगी। मार्ग की दूरी के परिवर्तन की दशा में सफल निविदादाता

को उनके वाहन द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के लिये ही अनुबन्ध में निर्धारित दर से किया जावेगा। सफल निविदादाता उक्त परिवर्तनों की पालना हेतु बाध्य होगी।

25 सफल निविदादाता की किसी भी गलती या अवहेलना या अनुबन्ध की किसी भी शर्तों को तोडने से उत्पन्न होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता को दिये जाने वाले उसके भाडे की रकम में से एवं उसकी प्रतिभूति राशि में से काट कर पूरा कर सकेगी।

26 जयपुर दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदादाता को उसके द्वारा जमाशुदा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

27 खाली कैनों की कीमत जयपुर दुग्ध संघ सफल निविदादाता को उसके कैन नहीं लौटाये जाने पर कैन/कैनों की कीमत प्राप्त कर सकेगी जो उसके माह के भाडे के बिल से मुजरा होगी या सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि से प्राप्त कर सकेगा।

28. यदि सफल निविदादाता ने किसी कारणवश दुग्ध परिवहन हेतु गाडी नहीं भेजी तो ऐसी हालत में दूध न उठाये जाने के कारण संध और समिति को जो हानि होगी, वह सफल निविदादाता से वसूल की जावेगी तथा शास्ती भी आरोपित की जा सकती हैं।

29. दुग्ध संकलन/परिवहन के दौरान गाडियों को समितियों के अलावा अनावश्यक स्थानों पर वाहन चालक, खलासी द्वारा नहीं रोका जावेगा।

30. जयपुर दुग्ध संघ आवश्यकतानुसार अपने प्रतिनिधियों को वाहन के साथ भेज सकेगी।

31. किसी कारणवश जयपुर दुग्ध संघ किसी भी समिति से दुग्ध संकलन नहीं करती या नही करना चाहती या बन्द कर देती है तो उस अवस्था में सफल निविदादाता उस मार्ग पर अपना वाहन नहीं चलायेगी। यदि वाहन ले जावेगा और उस अवधि में जयपुर दुग्ध संघ से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी कारणवश दूध संकलन की गतिविधि आंशिक/पूर्ण रूप से बन्द की जाती है तो वाहन को कोई भुगतान उक्त अवधि में देय नहीं होगा।

32 यदि जयपुर दुग्ध संघ अनुबन्ध वाहन से दूध परिवहन न कर दूसरे वैकल्पिक वाहन से दुग्ध परिवहन करता है तब जयपुर दुग्ध संघ से सफल निविदादाता की सहमति बतौर फीस ₹ 10,000/– जयपुर दुग्ध संघ को जमा करवाकर स्वीकृति प्राप्त करेगा लेकिन बदले हुये वाहन की किस्म मॉडल संध द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप होनी चाहिये। यह कि सफल निविदादाता इस ट्रांसपोर्ट कार्य के लिये जयपुर दुग्ध संघ की बिना स्वीकृति के किसी दूसरे व्यक्ति के हक में कार्य नहीं करेगी। यह अवधि अधिकतम एक माह तक होगी। अवधि के समस्त कार्य विकास की जिम्मेदारी मूल सफल निविदादाता की होगी, एक माह से अधिक चलने की दशा में जयपुर दुग्ध संघको अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा एवं प्रतिभुति राशि एंव अंतिम बिल जब्त करने का अधिकार होगा। केवल वाहन के खराब होने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की अवस्था में सफल निविदादाता अन्य वाहन का उपयोग कर सकेगें। जैसा कि पहले वर्णित किया जा चुका है कि वाहन खराब होने अथवा , दुर्घटनाग्रस्त होने पर सफल निविदादाता को वैकल्पिक इंतजाम करना पडेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के मात्र तीन दिवस तक ही सीमित रहेगी। तत्पश्चात सफल निविदादाता को वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जयपुर दुग्ध संघ से लिखित स्वीकृति या अनुमति लेनी आवश्यक होगी, पर यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी दुर्घटना में दूध अथवा दूध कैनों , पशु आहार एवं अन्य सामग्री की हानि की पूर्ति शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता करेगी। यदि अनुमोदित वाहन से कम क्षमता वाले वाहन से दुग्ध परिवहन किया जाता है तो सफल निविदादाता पर जुर्माना किये जाने का अधिकार होगा जिसका निर्धारण गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा।

33 सफल निविदादाता पुराने वाहन के स्थान पर नया वाहन लगाना चाहता है तो जयपुर दुग्ध संघ लिखित स्वीकृति उपरान्त नया वाहन लगायेगा वाहन स्वंय सफल निविदादाता का ही होगा। एवं वाहन अनुबन्ध शर्तां की मॉडल के बाद का होना चाहिये। इसके लिये सफल निविदादाता पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लगाया जायेगा। यह कि अगर सफल निविदादाता के कर्मचारी जयपुर दुग्ध संघ के कर्मचारियों से र्दुव्यवहार करेगा तो जयपुर दुग्ध संघ को अधिकार होगा कि वह सफल निविदादाता से उस व्यक्ति को नौकरी से हटवा दे और जयपुर दुग्ध संघ स्वंय भी तथाकथित कर्मचारी के संघ में प्रवेश पर पाबन्दी लगा सकेगी। किसी प्रकार के अभद्रव्यवहार की जानकारी सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रशासन को लिखित में दी जावेगी मामले की गम्भीरता को मददेनजर करते हुये परिवहन ठेकेदार पर जुर्माना भी किया जा सकेगा एवं ब्लेक लिस्ट भी किया जा सकेगा। चालक व हैल्पर का नाम व फोटो गाडी के साथ परिचय पत्र के रूप में देना होगा।

34 अगर कोई वाहन ठेकदार पंजीकृत कम्पनी के नाम पर टैन्डर देना चाहेगा तो उसे पंजीयन या दस्तावेज के साथ लगाना होगा और उस पर वहां के भागीदारी के दस्तखत जिसे भागीदारी प्रपत्र में हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया है और इसके कार्यालय में उपस्थित होना होगा । भागीदारी के नामों में व भागीदारी के गठन में इस निविदा के दौरान यदि परिवर्तन किया जावेगा तो उस परिवर्तन की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर अन्दर जयपुर दुग्ध संघ को सूचित करके अवगत करना होगा।

35 (अ) अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार का विवाद/मतभेद होने पर निपटारा पंच निर्णय द्वारा किया जायेगा एवं सोल पंच निर्णायक, अध्यक्ष, दुग्ध संघ, जयपुर होगें। उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(ब) किसी भी तरह की न्यायिक विवादों की दशा में न्यायाधिक क्षेत्र जयपुर होगा।

36 दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति/संकलन केन्द्रों द्वारा दुग्ध में घटोतरी परिवहनकर्ताओं की लापरवाही से हुई है तो घटोतरी से हुई हानि की कटौती सम्बन्धित परिवहनकर्ता के दुग्ध बिल से की जावेगी इसके अतिरिक्त संघ द्वारा आवश्यक समझा गया तो दूध नाप कर फैट व एस.एन.एफ. निकलवाकर समिति को प्राप्ती रसीद एवं अन्तर आने पर परिवहनकर्ता से कटौती की जा सकेगी।

37 सफल निविदादाता द्वारा दुग्ध परिवहन के दौरान अतिरिक्त किये गये अन्य कृत्य यथा भुगतान प्राप्त करने, भुगतान बिल आदि प्रस्तुत करने में बरती गई लापरवाही के कारण जयपुर दुग्ध संघ को हुई हानि की दशा में उसकी पूर्ति किये जाने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

38 उक्त शर्तों के अतिरिक्त संघ हित में अन्य शर्तों को जोडने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक में निहित होगा।

39 निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सफल निविदादाता को संघ का नाम मात्र (नोमिनल) सदस्य बनना आवश्यक है जिस हेतु नाम मात्र सदस्य का ₹ 100/– (एक सौ मात्र) एवं ₹ 10/– सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा। संध के नये उपनियमों के अनुसार संध के नाम मात्र (नोमिनल) सदस्य पर उपनियम की शर्तें लागू होगी।

40 संघ द्वारा कैन मय ढक्कन परिवहनकर्ता का सौंपे जावेगें जिन्हें वह आवश्यकतानुसार दुग्ध संकलन मार्ग की समितियों को उपलब्ध करायेगें, समितियों से प्राप्त करेगें। इस हेतु सभी

कैनों पर परिवहन कर्ता को कैन नं. लिखना होगा। अनुबनध कर्ता को अनुबन्ध की समाप्ति पर दुग्ध कैन मय ढक्कन संध को वापस जमा कराने होगें। कैन मय ढक्कन की कमी एंव टूट फूट के लिये परिवहन कर्ता उत्तरदायी होगें।

41 प्रथम सफल निविदादाता को अनुबन्ध सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करने हेतु (जैसे सिक्यूरिटी जमा करवाना, अनुबन्ध पत्र भरना, गाडी के कागजात की फोटो प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिये) संध द्वारा पत्र जारी किया जावेगा। इसक अन्तर्गत दी गई अवधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण न करने की स्थिति में संध में यह अधिकार निहित होगा कि प्रथम सफल निविदादाता को अर्नेष्ट मनी जब्त कर द्वितीय सफल निविदादाता को अनुबन्धित कर दिया जावेगा। वाहन लगने से पूर्व वाहन का (भौतिक) वाहन निरीक्षण प्रबन्धक (एफओपी)/जोन प्रभारी से करवाना होगा।

42 यदि अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध अवधि के मध्य में अनुबन्ध तोड़ता है तो संध में यह अधिकार निहित होगा कि अनुबन्धकर्ता की जमा सिक्यूरिटी राशि एवं बकाया परिवहन बिल की राशि जब्त कर अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त करते हुये अन्य दुग्ध परिवहन व्यवस्था की जावेगी।

43 जयपुर दुग्ध संघ अपने स्वंय के उत्पादों का अथवा उसके द्वारा अधिकृत संस्था/विज्ञापन दाता बोर्ड सफल निविदादाता के अनुबन्धित वाहन पर प्रदर्शित कराने के लिये जयपुर दुग्ध संघ द्वारा पार्टी को कोई शुल्क या प्रतिफल नहीं दिया जावेगा। इस प्रकार वाहन पर लगाये गये बोर्ड को हटाने या जयपुर दुग्ध संघ को सफल निविदादाता को देय भुगतान मेंसे उसके चूक के लिये ₹ 100/– प्रतिदिन का हिसाब से चूक की अवधि तक शास्ति वसूलने का अधिकार होगा। इस राशि की कटौती सफल निविदादाता को देय भुगतान मेंसे सीधे करने का अधिकार जयपुर दुग्ध संघ को होगा। यदि सफल निविदादाता द्वारा ऐसे किसी विज्ञापन बोर्ड को खराब करने पर जयपुर दुग्ध संघ को सफल निविदादाता को किये जाने वाले भुगताने में से विज्ञापन बोर्ड के मूल्य के बराबर राशि सीधे काटने का अधिकार होगा। संध द्वारा किये गये डिजायन के अनुसार लोगो गाडी पर पुतवाना/लिखवाना होगा एवं वाहन का निरीक्षण पश्चात ही अन्तिम बिल भुगतान वास्ते पारित किया जावेगा।

44 जयपुर दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह दुग्ध का गर्मी ,सर्दी , व वर्षा से खराब होने से बचाने के लिये सफल निविदादाता को दुग्ध वाहन पर त्रिपाल लगाने एवं उस पर पानी छिडकने का आदेश दे सकें। इसका पालन न करने पर जयपुर दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदादाता से खराब हुये दूध के मूल्य के साथ ₹ 200/– प्रति चक्कर जुर्माना वसूला जा सकेगा। तीन दिवस तक लगातार त्रिपाल न लगाने पर परिवहन अनुबन्ध रदद करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

45 किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक में निहित होगा।

46 दुग्ध परिवहन ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा दुग्ध परिवहन बिल का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा।

47 सफल निविदादाता को अनुबन्ध हस्ताक्षर करते समय ही स्थाई खाता सं. (पैन नं.) प्रस्तुत करना होगा। बिना पेन नम्बर के बिलों का भुगतान नहीं होगा।

48 ग्रामीण दुग्ध परिवहन वाहनों मे प्राथमिकता ग्रामीण क्षैत्र के वाशिंदा वाहन मालिकों को दी जावेगी।

49 जयपुर दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर 07 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

50 दुग्ध वाहन में दूध की चोरी हेराफेरी पकड़े जाने पर दुग्ध परिवहन ठेकेदार, वाहन चालक, हैल्पर एवं अन्य स्टॉफ एवं वाहन को तुरन्त प्रभाव से ब्लैक लिस्ट किया जावेगा एवं अन्तिम दुग्ध परिवहन बिल एवं सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का जयपुर दुग्ध संघ को अधिकार होगा।

51 किसी चिन्हित दुग्ध पथ पर लगाये गये अनुबन्ध वाहन में क्षमता से अधिक दूध मात्रा होने पर दुग्ध संघ चाहे तो दुग्ध वाहन ठेकेदार को अतिरिक्त वाहन उन्हीं शर्तों पर लगाने की अनुमति दे सकता है।

52 दुग्ध वाहन बिना किसी प्राकृतिक विपदा/कारणों के अलावा यदि 30 मिनट के उपरान्त डेयरी डॉक पर पहुॅचता है और यदि दूध खराब (खट्टा/दही) नही होता है तब भी दुग्ध वाहन ठेकेदार से प्रति 30 मिनट रू 100/– की कटौती की जावेगी उपरोक्त निर्णय प्रभारी डेयरी डॉक द्वारा किया जावेगा।

53 सफल निविदादाताको फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 के तहत दुग्ध परिवहन कार्य से सम्बन्धित प्रावधानों की पालना के क्रम में पंजीयन/लाईसेन्स लेना अनिवार्य होगा एवं उक्त एक्ट के प्रावधानों की पालना करने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

54 सफल निविदादाता सभी प्रकार की न्यायिक/सामाजिक बाध्यताये पूरी करने व समस्त एक्ट – ट्रांसपोर्ट/ईएसआई/पीएफ इत्यादि के प्रावधानों की पालना हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा।

55 दुग्ध वाहन में दूध के अतिरिक्त सवारी या अन्य सामान पाये जाने पर सफल निविदादातापर जयपुर दुग्ध संघ को शास्ति लगाने का अधिकार होगा एवं अन्य सामान में दूध की गुणवत्ता पर विपरित असर डालने वाला सामान पाया जाता है तो सफल निविदादाताको चेतावनी देते हुए प्रथम बार शास्ती लगाई जा सकेगी एवं पुनरावृत्ति होने पर निलम्बन कर अनुबन्ध समाप्त करने का जयपुर दुग्ध संघ को अधिकार होगा।

56 निविदादाता द्वारा स्वयं प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित इस बाबत् प्रमाण पत्र कि किसी दुग्ध संघ द्वारा वाहन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्धित/ब्लैक लिस्ट नही किया गया है, भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

57 निविदादाता द्वारा लाभ के लिए यदि जानबूझकर गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी सूचना के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं जयपुर दुग्ध संघ को निविदा को किसी भी स्तर/समय पर निरस्त करने का अधिकार होगा।

58 अनुबन्ध के दौरान अनुबन्धित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इससे सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी जिसमें पुलिस, बीमा एवं अन्य दायित्व सफल निविदादाता की होगी। जयपुर दुग्ध संघ का इस हेतु कोई दायित्व नही होगा।

59 बाल श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत यदि अनुबन्धित वाहन में कोई बाल श्रमिक पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

60 दुग्ध वाहन परिचालक व अन्य कोई व्यक्ति दुग्ध वाहन के पीछे डाले पर कैनों के साथ बैठा पाया जाता है तो सचिव, मार्ग प्रभारी एवं उपकेन्द्र प्रभारी की सिफारिश पर वाहन ठेकेदार पर अधिभार लगाया जायेगा।

61. सफल निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर दुग्ध वाहन/टैंकर में जयपुर दुग्ध संघ के निर्देशानुसार जीपीएस उपकरण लगवाना होगा। यदि वाहन में वाहन ठेकेदार/चालक द्वारा जीपीएस उपकरण को क्षति पहुंचायी जाती हैं अथवा उपकरण से छेड–छाड की जाती हैं अथवा हटाया जाता हैं तो दुग्ध संघ द्वारा पेनल्टी लगाई जावेगी।

62 यदि कोई वाहन पूर्व में चौरी/अनियमितता में पकडा गया हैं, तो ठेकेदार द्वारा इस प्रकार का वाहन स्वीकार नहीं होगा।

63 यदि कोई निविदिादाता पूर्व में संघ के साथ व्यापार में चौरी/अनियमितता इत्यादि में लिप्त हुआ हैं व दण्डित किया गया है तो टेण्डर में अयोग्य माना जावेगा।

64. सरकार/तेल कम्पनियों द्वारा डीजल की दरों में परिवर्तन करनें पर प्रत्येक माह की प्रथम दिनांक को जो भी डीजल की दर होगी, उसी के अनुसार उस माह के लिए परिवहन दर निर्धारित की जावेगी। संघ द्वारा उसके अनुसार टाटा 407/ समकक्ष की 10 किमी./ लीटर एवं पिकअप/ समकक्ष 12 किमी./ लीटर की दर से आनुपातिक बढोतरी/ घटोतरी कर अनुपात में भुगतान किया जावेगा। प्रतिकिग्रा. वाले दुग्ध वाहनों की वास्तविक किमी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

65. सफल निविदादाता को –

(I) बैंक का नाम
(II) बैंक शाखा का नाम
(III) बैंक खाता संख्या
(IV) बैंक का आईएफएससी कोड़ आदि प्रस्तुत करना होगा।

रु. 100 का स्टाम्प पेपर

शपथ पत्र

मैं. ..... पुत्र श्री .....पता ....

.....शपथ पूर्वक

बयान करता हूँ कि :–

1. मुझे जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 एवं अन्य किसी दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध की चोरी/हेराफेरी में दण्डित नहीं किया गया है।
2. मुझे जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 एवं अन्य किसी दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध की चोरी/हेराफेरी एवं अनियमितता के कारण अयोग्य (ब्लेक लिस्टेड) घोषित नहीं किया गया हैं।
3. मेरा दुग्ध परिवहन वाहन संघ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही हैं।
4. मैं संघ द्वारा निर्धारित निविदाओं की शर्तों का पूर्ण पालन करुंगा, अन्यथा मेरे दुग्ध परिवहन वाहन को हटानें एवं मेरे को दण्डित करने हेतु निविदा शर्तो के अनुसार संघ को अधिकार होगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

दुग्ध परिवहन वाहनों की सूची

क्र. सं.	दुग्ध मार्ग का नाम	वाहन का प्रकार	अनुबन्ध अवधि समाप्ति की दिनांक	किग्रा/ किमी	टेण्डर/ रिटेण्डर	उपकेन्द्र का नाम
1	कोटपूतली – अष्टम	टाटा 407/ समकक्ष	31.07.2017	प्रतिकिग्रा.	रि–टेण्डर	शाहपुरा
2	कोटपूतली – बारह	पिकअप/समकक्ष	22.07.2017	प्रतिकिग्रा.	रि–टेण्डर	
3	कोटपूतली – सप्तम	टाटा 407/ समकक्ष	31.01.2018	प्रतिकिमी.	टेण्डर	
4	कोटपूतली – नवम	पिकअप/समकक्ष	31.01.2018	प्रतिकिग्रा.	टेण्डर	
5	कोटपूतली – ग्यारह	पिकअप/समकक्ष	20.01.2018	प्रतिकिमी.	टेण्डर	
6	सामोद माजीपुरा प्रथम	पिकअप/समकक्ष	22.02.2017	प्रतिकिग्रा.	रिटेण्डर	कालाडेरा
7	चौमू ईटावा द्वितीय	पिकअप/समकक्ष	08.03.2017	प्रतिकिग्रा.	रिटेण्डर	
8	खाचरियावास प्रथम	पिकअप/समकक्ष	08.03.2017	प्रतिकिग्रा.	रिटेण्डर	
9	कंवरपुरा भूतेडा तृतीय	पिकअप/समकक्ष	31.01.2018	प्रतिकिग्रा.	टेण्डर	
10	गीजगढ चतुर्थ	टाटा 407/ समकक्ष	14.08.2017	प्रतिकिग्रा.	रिटेण्डर	दौसा
11	महवा प्रथम	टाटा 407/ समकक्ष	10.08.2017	प्रतिकिग्रा.	रिटेण्डर	
12	गीजगढ तृतीय	टाटा 407/ समकक्ष	20.02.2018	प्रतिकिग्रा.	टेण्डर	
13	करोडी प्रथम	टाटा 407/ समकक्ष	10.02.2018	प्रतिकिग्रा.	टेण्डर	
14	मण्डावर द्वितीय	टाटा 407/ समकक्ष	20.01.2018	प्रतिकिग्रा.	टेण्डर	
15	महवा तृतीय	टाटा 407/ समकक्ष	20.01.2018	प्रतिकिग्रा.	टेण्डर	
16	फागी पंचम	टाटा 407/ समकक्ष	अस्थायी	प्रतिकिग्रा.	रिटेण्डर	चाकसू
17	बस्सी तृतीय	टाटा 407/ समकक्ष	14.08.2017	प्रतिकिग्रा.	रिटेण्डर	
18	बस्सी षष्ठम	टाटा 407/ समकक्ष	अस्थायी	प्रतिकिग्रा.	रिटेण्डर	